न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2019

लालजी पुत्र रणजीत जाति कुम्हार साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

प्रार्थी

बनाम

1. दर्शन सिंह पुत्र बन्तासिंह जाति कुम्हार साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गुरदेव सिंह पुत्र बन्तासिंह जाति कुम्हार साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
3. बख्तावर सिंह पुत्र बन्तासिंह जाति कुम्हार साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. तेजू सिंह पुत्र बन्तासिंह जाति कुम्हार साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. सोहन सिंह पुत्र नर सिंह जाति कुम्हार साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
6. मोहन सिंह पुत्र नर सिंह जाति कुम्हार साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
7. रानी पुत्री बन्ता सिंह जाति कुम्हार साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
8. गुड्डी पुत्री बन्ता सिंह जाति कुम्हार साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
9. पाल कौर पुत्री बन्ता सिंह जाति कुम्हार साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. सुखी पुत्री बन्ता सिंह जाति कुम्हार साकिन लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा — प्रार्थी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 11

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 30-04-25

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:44:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से **अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व [illegible] अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा प्रस्तुत [illegible] गया प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से संयुक्त खाते की खातेदारी कृषि [illegible] तहसील पीलीबंगा के चक 5 एलजीडब्लयू के खाता सं. 19 के प.नं. 39/[illegible]278, 40/279, 40/280 की कुल 10.626 हैक. नहरी अ.क. म.गै.मु. मे से प्रार्थी की 1.229 [illegible] मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 5, 7 ता 10 के पिता, अप्रार्थी सं. 5—6 के दादा बन्ता सिंह पुत्र निधान सिंह के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 5 एलजीडब्लयू के खाता सं. 41 के प.नं. 40/279 के किला नं. 16, 24, 25 की 0.759 [illegible]

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नहरी म.गै.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 – 77 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि मिन अप्रार्थी को घरू बंटवारा मे प्राप्त भूमि चक 5 एलजीडब्लयू के प.नं. 40/279 के किला नं. 5/.217, 6, 7, 14, 15 की कुल 1.229 हैक प्राप्त शुदा है । प्रार्थी की भूमि को वर्तमान मे अप्रार्थीगण की भूमि के किला नं. 16–25 प्रत्येक मे 0.015– 0.015 हैक. रास्ता मौका पर उत्तर से दक्षिण लम्बा बैजानिव पूर्व दिशा धोरी खाला के चिपता हुआ बिना किसी विवाद के चल रहा है और प्रार्थी उक्त रास्ता से ही अपनी भूमि मे आवगमन करता है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे उक्त रास्ता स्वीकृत न होने से प्रार्थी के अधिकारों पर विपरित असर पड़ता है । इसलिए अप्रार्थीगण की भूमि चक 5 एलजीडब्लयू के प.नं. 40/279 के किला नं. 16, 25 प्रत्येक मे 0.015–0.015 हैक. कुल 0.030 हैक. रास्ता उत्तर से दक्षिण लम्बा बैजानिव पूर्वी दिशा धोरी खाला के चिपता हुआ रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे स्वीकृत किया जाकर रास्ता का अंकन किया जावे और प्रार्थी उक्त रास्ता के बदले अपने हक व हिस्सा की भूमि मे से अप्रार्थीगण की भूमि के चिपता ही 0.030 हैक. भूमि देने के लिए तैयार एवं तत्पर है जो कि अप्रार्थीगण के नाम से रास्ता के बदले भूमि दर्ज की जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे । यह कि अप्रार्थी सं. 11 भूधारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार एवं उनकी अहम जबावदेही है यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की भूमि चक नं. 5 एलजीडब्लयू के प.नं. 40/279 के किला नं. 16, 25 प्रत्येक मे 0.015–0.015 हैक. कुल 0.030 हैक. रास्ता उत्तर से दक्षिण लम्बा बैजानिव पूर्वी दिशा धोरी खाला के चिपता हुआ रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत किया जाकर रास्ता का अंकन किया जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 व 9,10 की तलबी बाद रजिस्ट्रड एडी तामिल होने पर हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल लायी गयी है। अप्रार्थी संख्या 8 का अधूरा पता होने पर दैनिक समाचार पत्र से तामिल होने पर हाजिर नहीं आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 324 दिनांक 22.04.25 से रिपोर्ट तलब की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा अनुसार – प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खातेदार बन्ता सिंह पुत्र विधान सिंह जाति कुम्हार फौत होना बताया गया जिनके वारिसान दर्शन वगै0 को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाही गई रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता से कम दूरी का रास्ता नहीं है। नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालु नहीं है।

बहस सुनी अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर किया जावे। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी रास्ता स्वीकृति में प्रतिकर के रूप में जमीन के बदले जमीन देने के लिए तैयार है। रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:44:26 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया गया प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन [illegible] रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा अनुसार – प्रार्थी द्वारा चाहा गया [illegible] प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खातेदार [illegible] जाति कुम्हार फौत होना बताया गया जिनके वारिसान दर्शन वगै0 को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाही गई रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं [illegible] प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता से कम दूरी का रास्ता नहीं है। नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालु नहीं है इस लिए तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्थान का तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदे । पारित किया जाता है कि चक नं. 5 एलजीडब्लयू के प.नं. 40/279 के किला नं. 16, 25 प्रत्येक मे 0.015–0.015 हैक.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कुल 0.030 हैक. रास्ता उत्तर से दक्षिण लम्बा बैजानिब पूर्वी दिशा धोरी खाला के चिपता हुआ रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत किया जाता है। रास्ते के प्रतिकर के रूप में प्रार्थी के हक्क हिस्सा की भूमि चक 5 एलजीडब्लयू के प.नं. 40/279 के किला नं. 15 की दक्षिण दिशा में से अप्रार्थी दर्शन सिंह के चिपती हुई 0.030 है. भूमि अप्रार्थी दर्शन सिंह के नाम दर्ज की जावे। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 30.04.25 सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:44:26 IST
Reason: SelfAttested